मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक–02 ~~अप्रैल~~ मई 2022

क्रमांक–1217 /1660/2020/पैंतीस डॉ0 देवेन्द्र कुमार वर्मा, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद पर धरसींवा जिला रायपुर में पदस्थ् थे । डॉ0 वर्मा को श्री जयराम प्रसाद अवस्थी से गाय की मृत्यु प्रमाण का पत्र प्रदाय करने के लिए रूपये 300/– की रिश्वत लेते हुये लोकायुक्त् कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना रायपुर संभाग द्वारा दिनांक 03.04.1992 को रंगे हाथों पकड़ें जाने के कारण प्रकरण में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 04.06.1994 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। डॉ0 देवेन्द्र कुमार वर्मा, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी को विशेष न्यायाधीश रायपुर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 10/94 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 05.07.1999 द्वारा धारा 7.13,(1) डी 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर पृथक–पृथक धाराओं में क्रमशः एक–एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक–एक हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किए जाने के कारण लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 16 फरवरी 2000 द्वारा सहमति उपरांत विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2000 से डॉ0 वर्मा को दीर्घशास्ति से दंडित करते हुए सेवा से पदच्युत (Dismiss) किया गया ।

2/ छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 25 जून 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आदेश के विरूद् डॉ0 वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में क्रिमिनल अपील प्रकरण क्रमांक 1854/1999 (देवेन्द्र कुमार वर्मा बनाम मध्यप्रदेश शासन वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य) दायर किया गया, जिसमें मान0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दि0 18.09.2018 द्वारा डॉ0 वर्मा को दोषमुक्त किया गया है। अतः डॉ0 वर्मा द्वारा उक्त आदेश में अपनी दोषमुक्ति के पश्चात पुनः सेवा में रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया। डॉ0 वर्मा को अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में पशुपालन विभाग के आदेश दि0 14.03.2000 द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया था। तत्समय मध्यप्रदेश राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था। प्रकरण में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लागू नहीं होने के कारण कार्यवाही मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जाना पाया गया।

3/ श्रीमती सावित्री वर्मा पत्नि स्व. श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा ने दि0 05.01.2021 को अपने आवेदन के साथ डॉ0 देवेन्द्र कुमार वर्मा की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न कर मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार समस्त योजनाओं का लाभ देने हेतु अनुरोध किया गया है।

4/ प्रकरण राज्य पुनर्गठन से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभिमत दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ) द्वारा अंतिम राज्य आवंटित अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में ही नियम/निर्देश निर्धारित है। डॉ0 देवेन्द्र कुमार वर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी को विभागीय आदेश दि014.03.2000 द्वारा दीर्घशास्ति से दंडित करते हुए सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने के कारण राज्य आवंटन के समय डॉ0 वर्मा के नाम पर विचार नहीं किया गया।